भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE

(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि/सतर्कता/229/13/ ६५५५
SPMCIL/VIG/229/13/

दिनांक 13.03.2014
Date 13.03.2014

परिपत्र/Circular

विषय: अखबारों में निविदा सूचना का प्रकाशन।

Sub: Publishing of tender notice in newspapers.

एक इकाई में खरीद की मुख्य तकनीकी परीक्षक के समान गहन परीक्षण कार्य के दौरान, यह पाया गया कि नई खरीद मैनुअल (संस्करण 1.0, 2011) की धारा 8.8.1 के प्रावधानों के अनुसार निविदा सूचना को निर्दिष्ट अखबारों में प्रकाशित नहीं किया गया था। आगे, निविदा सूचना को संबंधित इकाई द्वारा अनुरोध किए गए अखबारों में निर्धारित समय के भीतर प्रकाशित करने में विज्ञापन एजेंसी की विफलता पर उनके खिलाफ कार्यवाई करने का प्रावधान निविदा दस्तावेजों/कार्य आदेश में नहीं किया गया था।

During CTE type Intensive Examination of procurement in one of the unit, it was observed that the tender notice was not published in the specified newspaper as per the provisions of Clause 8.8.1 of new Procurement Manual (Version 1.0, 2011). Further, no provision was kept in the tender document/works order to take action against the advertising agency for failure on their part to publish the tender notice in the newspaper(s) within stipulated time requested by the concerned unit.

2. सक्षम प्राधिकारी ने इन खामियों को गंभीरता पूर्वक लिया है। सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इकाई द्वारा नई खरीद-पुस्तिका (संस्करण 1.0, 2011), में निविदा प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रावधानों का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है। आगे, इकाई द्वारा निविदा सूचना अनुरोध किए गए अखबारों में निर्धारित समय के भीतर प्रकाशित करने में विज्ञापन एजेंसी की विफलता पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उपयुक्त प्रावधान भी निविदा दस्तावेजों/कार्य आदेश में किया जाना चाहिए।

2. The above observation have been viewed as a serious lapse by the Competent Authority. All concerned dealing with tendering procedures are hereby once again advised to ensure that all the procedures as per the provisions of new Procurement Manual (Version 1.0, 2011) are strictly followed by the unit in the tendering process. Further, suitable provision should also be kept in the tender document/works order for taking action against the advertising agency for failure on their part to publish the tender notice in the requested newspaper(s) by the unit within stipulated time.

- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

नीरू श्रीवस्तव
13.03.14

011-23701225-26
011-43582200

16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली -110001
16th Floor, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi - 110001

फैक्स/Fax : 011-23701223
E-mail : spmcil@rediffmail.com

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि/सतर्कता/229/13/ ४५५५
SPMCIL/VIG/229/13/

दिनांक 13.03.2014
Date 13.03.2014

3. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किय जाता है।
4. This issues with the approval of Competent Authority.

वी० कु० आनन्द
13.03.14

(वीरेन्द्र कुमार आनन्द)/(Virender Kumar Anand)
वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी/Senior Vigilance Officer

महाप्रबंधक/The General Manager,
टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,
भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि/SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:
1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय के विशेष कर्तव्य अधिकारी।/OSD to CMD.
2. निदेशक (मानव संसाधन/तकनीकी)/मु.स.अ. महोदय के कार्यपालक सहायक/ EA to Director (HR/T)/CVO.
3. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), निगम मुख्यालय/GM (IT), CHO.
4. अपर महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), निगम मुख्यालय/Addl.GM (F&A), CHO.
5. उप महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)/उप मु.स.अ.।/DGMs (CHO)/Dy. CVO.
6. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां)।/All Vigilance Officials (CHO/Units).
7. सूचना पटल।/Notice Board.